

जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा ग्राम रहपुरा तहसील-मिलक जिला रामपुर द्वारा गाटा संख्या-446/1 में (रिटेल आउटलेट) के सम्पर्क मार्ग के निर्माण से सम्बंधित हैं, जो पटवाई-मिलक (अन्य जिला मार्ग-3) मार्ग के किमी0 8.709 के चैनैज 8.743 की दांयी पटरी पर अवस्थित हैं।
 स्थापित का नाम - पटवाई-मिलक मार्ग (जी.डी.आर-3) में किमी-स्के-9 (चैनैज 8.480 से 8.690) की दांयी पटरी पर।

ब्रिकगार्ड निर्माण एवं रोपण का प्राक्कलन

रेंज का नाम :मिलक रोपित पौधों की सं0-130

श्रमिक मजदूरी दर 201/-प्रति मानव दिवस

प्रभावित वन भूमि-0.0643 है0 x 2= 0.1286 है0 या 0.13 x 1000=130 ब्रिक गार्ड

ब्रिकगार्ड निर्माण एवं रोपण का प्राक्कलन

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	गडढा खुदान (0.60X0.60X0.60)	130	प्रति गडढा	12.86	1671.80
2	गडढों में गोबर की खाद डालने हेतु खाद का कय मय डुलान सहित	130	प्रति गडढा	6.44	837.20
3	गडढों में गोबर की खाद मिलाकर भरना	130	प्रति गडढा	1.61	209.30
4	गडढों में कीटनाशक डालने हेतु कीटनाशक का कय व मिलाकर भरना	130	प्रति गडढा	LS	300.00
5	पौधों का मूल्य डुलान सहिते कैरी बैग बाजार दर	130	प्रति पौध	80.00	10400.00
6	पौधों का स्थानीय डुलान	130	प्रति पौध	4.02	522.60
7	पौधारोपण सिंचाई व थावला बनवाई	130	प्रति पौध	14.07	1829.10
8	ब्रिकगार्ड का निर्माण मोनोग्राम सहित	130	प्रति ब्रिकगार्ड	3100.00	403000.00
9	पौधों की सिंचाई मय डीज़ल की कीमत आदि - 9 बार	1170	प्रति पौध	1.97	2304.90
10	पौधों की निराई-गुड़ाई - 5 बार	650	प्रति पौध	3.02	1963.00
11	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	0	0	LS	562.10
				योग	423600.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 12 बार	1560	प्रति पौध	1.97	3073.20
2	पौधों की सिंचाई अक्टूबर से मार्च - 5 बार	650	प्रति पौध	1.97	1280.50
3	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
4	ब्रिकगार्डों की मरम्मत पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10प्रतिशत अनुमानित	130	प्रति	231.30	30069.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	92.10
				योग	35300.00

वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20

राजीव कुमार
 प्रादेशीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 रामपुर

3	मरम्मत पौध बदलना आदि (सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत क्षति अनुमानित)	130	प्रति पौध	231.30	30069.00
4	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	384.80
				योग	33800.00

वृक्षारोपण तृतीय वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

वृक्षारोपण चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

वृक्षारोपण पंचम वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
3	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

वृक्षारोपण षष्ठम वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

वृक्षारोपण सप्तम वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

वृक्षारोपण आठवा वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

वृक्षारोपण नवा वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

राष्ट्रीय वन विभाग
प्रमुख निदेशक
वन विभाग
वाणिज्यिक प्रभाग
गुवाहाटी

वृक्षारोपण दसवा वर्ष अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून - 10 बार	1300	प्रति पौध	1.97	2561.00
2	पौधों की निराई-गुड़ाई - 2 बार	260	प्रति पौध	3.02	785.20
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	53.80
			योग		3400.00

क्षतिपूरक वनीकरण व्यय का सारांश

1	कार्य का विवरण	धनराशि	मंहगाई, मुद्रा स्फीति 10 प्रतिशत अतिरिक्त	योग
1	अग्रिम मृदा एवं वृक्षारोपण	423600.00	-	423600.00
2	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	35300.00	3570	38870.00
3	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	33800.00	3390	37190.00
4	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
5	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
6	पंचम वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
7	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
8	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
9	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
10	नवा वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
11	दसवां वर्ष अनुरक्षण	3400.00	360	3760.00
	योग	519900.00	9840	529740.00

नोट:-

1 प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 526/11-सी दिनांक 09.09.2016 द्वारा निर्धारित प्रति हे० सीलिंग दर के अनुसार बनाया गया है।

2 प्राक्कलन में प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है।

3 उक्त दरों में मंहगाई मुद्रास्फूर्ति (Cost Escalation) को ध्यान में रखते हुए प्रथम वर्ष अनुरक्षण से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि को समावेशित कर लिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।
रामपुर